


डिसेंट रिपनर्स प्रा. लिमिटेड
CIN: U74899DL1990PTC040239
पंजीकृत कार्यालय: 41-बी रामपद, जहाँगीरपुरी, नई दिल्ली, भारत, 110033
केन्द्रीय कार्यालय से पहले, डीडी-निदेशक, चरार क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) (अ) अधिनियम (निषेधन) नियम, 2014 के नियम 38 (6) (F) के तहत नई
जन्म
मात्र में डिसेंट रिपनर्स प्रा. लिमिटेड के 41-बी रामपद, जहाँगीरपुरी, नई दिल्ली, भारत, 110033 में अपना पंजीकृत कार्यालय हुआ।
..... राष्ट्रियकार्य
सूचना सामान्य जनता को दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत कंपन सरकार को आवेदन करना का प्रस्ताव करती है, जिससे अतिरिक्त में परित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के आपन संघिति में परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है। 03.03.2025 को आयोजित सामान्य आम बैठक में कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को 41-बी रामपद, जहाँगीरपुरी, नई दिल्ली, भारत 110033 से बी.जी.सी. को.डो.डो. कोडेंड वरिपर, करणव, इंदियारा, भारत, 132114 से बदलने के लिए सक्षम लोग अधिक।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन को तारीख से नौदर दिनों (14) के भीतर आवेदन कंपनी की एक प्रति के साथ आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 41-बी रामपद, जहाँगीरपुरी, नई दिल्ली, भारत, 110033 और क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल पर्यावरण मयन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 में अपने हित की प्रकृति और आवेदक कंपनी को विवेक के आधार बताते हुए एक हलकनमें द्वारा समर्थित अपनी आपतियां पंजीकृत डाक से भेज सकता है या भेज सकती है।
बोर्ड के लिए और पक्षों की और से डिसेंट रिपनर्स प्रा. लिमिटेड
हस्ता/—
रमेश कुमार
(निदेशक)
एकमा दिवली
तिथि: 10.03.2025
आर/डी- हाउस नं. 2, आरहेड लीपी, पी-एनवाई, पुलिस लाइन के सामने करवाल हरियाणा भारत 132114

फार्म नंबर INC-19
सूचना
नियम 22(1), कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के अनुसार
आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 8(4)(ii) के साथ कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के नियम 21 और 22 और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य लाप्रा प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसारण में, कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित करने के लिए रिमांडु काउंडेशन (CIN: U74999DL2016NPL292994) के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत प्राप्त लाइसेंस (लाइसेंस संख्या - 106624) के आत्मसमर्पण के लिए क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली को ई-फॉर्म INC-18 के माध्यम से आवेदन किया गया है।
लाइसेंस समर्पण के बाद कंपनी के प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:
1. भारत में या अन्यत्र व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए निगमों, प्रसंस्करण, उत्पादन, पैक, दोबारा पैक करना, जोड़ना, हाटाना, ब्रेड करना, कम करना, सुधार करना, खरीदना, बेचना, फिर से बेचना, आयात, निर्यात, बिक्राना, डिजाइन, बाजार, खरीद, मुद्रण, आपूर्ति, कार्य करना, और एजेंट, दलाल, प्रतिनिधि, सलाहकार, सहयोगी, खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करना या अन्यथा सभी आकार, आकार, विवरण, अनुप्रयोगों, तौर-तरीकों, विशिष्टताओं डिजाइनों, किस्मों और सभी प्रकार की स्टेशनरी और मुद्रण में सौदा करना। सामग्री, उत्पाद जैसे लेखन स्याही, मुद्रण स्याही, स्याही अर्क, स्याही पाउडर, स्याही गोलिएयें, अंकेन स्याही, ड्राइंग स्याही, लिथोग्राफिक स्याही, चिपकने वाले, स्टिकर, मुद्रांकन मोम, क्रेयोन और चाक, कार्बन पेपर, रिवन, ड्राइंग पेस्टल, पेंसिल, बॉल पेन, जेल पेन, फाउटेन पेन, निप, रिफिल, पेन-होल्डर, शापेन, इरेजर, पेपर बॉक्स, पेपर फाइल, बॉक्स फाइल, स्टॉप पैड, पिन कुशन, क्लूट निगम, कंपास, ज्यामितीय उपकरण, लिफाफे, खाता किताबें, रबर, स्टेपलर, स्टेपल पिन, यू-पिन, टैग, फोल्डर, हाइड्राग्राफर, ब्लैक बोर्ड, नोट बुक, अन्यत्र पुस्तकें, लेखन पैड, कंप्यूटर स्टेशनरी, रंग और छात्रों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य सामान वस्तुएँ।
यह सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कम, कंपनी, निगम या निकाय कॉर्पोरेटर, इस आवेदन पर आपत्ति करता है, तो वह क्षेत्रीय निदेशक को संवेधित एक पत्र द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दस दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण मयन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में क्षेत्रीय निदेशक को अपनी आपत्ति बता सकता है और जिसकी एक प्रति आवेदक को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-213, केएफ, नंबर 256/4, जी / एफ चरार विहार, मंडावली नई दिल्ली-110092 में भेजी जाएगी।
रिमांड काउंडेशन कि और से
Sd/-
आम भाद्राज
निदेशक। DIN-08295093
दिनांक: 10/03/2025
स्थान: दिल्ली

	चोलामंडलम इन्व्स्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रैस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी., मोबाइल नंबर 9643344410
--	---

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
<p>वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।</p> <p>एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार /सह-कर्जदार /बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निनवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्व्स्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्व्स्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां ‘जैसा है जहां है’, ‘जो है जैसा है’ तथा ‘जो भी है वहां है’ आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी।</p> <p>एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ के माध्यम से करेंगे।</p>

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधकदताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, घरोहर राशि जमा एवं बोली बुद्धि राशि (रु. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईस्ट्रमी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. HE01MRU00000044526 विजित कुमार जे-341/2, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001	05-08-2024 रु. 31,15,817/-	मकान नंबर जे-341/2, क्षेत्रफल परिमाणु 90 वर्ग मीटर, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001 चौहद्दी निम्नानुसार पूरब : 15 मीटर/ प्लॉट नंबर जे-341/1., पश्चिम : 15 मीटर/ प्लॉट नंबर जे-341/3, उत्तर : 6 मीटर/ 6 मीटर चौड़ी रोड, दक्षिण : 15 मीटर/ प्लॉट नंबर जे-323/3	रु. 40,00,000/- रु. 4,00,000/- रु. 50,000/-	29-03-2025 पूर्व: 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 28-03-2025 पूर्व: 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार
			कब्जा का प्रकार सांकेतिक		

- आईओएन-नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), **Ms.procure247.com** (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल – 9510974587)
- ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया **https://chola-lap.procure247.com/** एवं **https://cholamandalam.com/auction-notices** में देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है
स्थान : दिल्ली, एनसीआर, दिनांक : 10-03-2025

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वित्तीय संस्था)											पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवै, ग्राउंड और प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, अशोक जेम्सपुर, कोरमंडला इनर रिंग रोड, ईंजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघटा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005											
ई नीलामी सूचना																						
वित्तीय संघितियों की सूचना और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरकारी अधिनियम) 2002 के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्राधान्य नियम 8(6) और 9 के साथ पठित।																						
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरकारी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है (विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वस्तुओं के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) ‘जैसा है जहां है आधार’ और ‘जैसा है वैसा है आधार’ पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर के आधार पर आयोजित की जाएगी।																						
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	08.03.2025 तक बकाया बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	मासिक रुपये में आरंभित मूल्य	मासिक रुपये में बकाया राशि जमा (ईस्ट्रमी)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली उभार करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान												
1.	47939420000966	1)मो अक्षर, पुत्र श्री रमेश अक्षय (आवेदक), 2) श्रीमती नीलकंठ, पत्नी श्री लल्लू हसन (सह-आवेदक)	13.09.2023	09.07.2024	₹26,35,310.50 (रुपये पचास लाख बीस हजार तीन सौ दस और पचास पैसे मात्र)	01.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	₹8,92,500/- (रुपये आठ लाख नवसे हजार पांच सौ मात्र)	₹8,99,300/- (रु. नवसौ हजार तीन सौ मात्र)	15.04.2025 समय 11:00 बजे दिन	11.04.2025 समय 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005												
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नंबर बी-120, खसरा नंबर 312 न्यूरमन कालेक्ट एरिया 41.805 वर्ग मीटर, प्लेट नंबर दूसरी मंजिल, आरएनएच, रेल विहार, सहकारी आवास समिति लिमिटेड में स्थित हदकस्त गांव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में है। जिसके मालिक मोहम्मद अफसर, पुत्र श्री जरीफ अहमद। सीमा: पूर्व: प्लॉट नंबर बी-119, पश्चिम: सड़क 30 फीट चौड़ी, उत्तर: पीछे की तरफ प्लेट, दक्षिण: सड़क 25 फीट चौड़ी।																						
2.	47939420000387 और 47939410000111	1) श्री अलीक अहमद, पुत्र श्री जरीफ अहमद (आवेदक), 2) श्रीमती सोनी, पत्नी श्री अलीक अहमद (सह-आवेदक)	26.12.2023	09.07.2024	₹24,75,683.10 (रुपये बीस लाख पचास हजार सात सौ पचास पैसे मात्र)	01.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	₹8,92,500/- (रुपये आठ लाख नवसे हजार पांच सौ मात्र)	₹8,99,300/- (रु. नवसौ हजार तीन सौ मात्र)	15.04.2025 समय 11:00 बजे दिन	11.04.2025 समय 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005												
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति 1 किला आवासीय प्लेट नंबर द्वितीय तल, एलएचएस यूनिट, (प्लू के बिना) क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर बी-120, खसरा नंबर 312 निमिट पर निर्मित, रेल विहार, सहकारी आवास समिति लिमिटेड, हदकस्त गांव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित है। जिसका स्वामित्व श्रीमती नजमा, पत्नी श्री अलीक अहमद के पास है। सीमा: पूर्व: प्लॉट नंबर बी-119, पश्चिम: रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तर: अन्य की जमीन, दक्षिण: आरएनएच पर प्लेट।																						
3.	451294200001837	1) श्री विनय कुमार, पुत्र श्री रूप रंज (आवेदक), 2) श्रीमती सोनी, पत्नी श्री विनय कुमार (सह-आवेदक)	04.09.2024	21.01.2025	₹13,07,919.87 (रुपये तेरह लाख सत्तर हजार नौ सौ उन्नीस और सत्तर पैसे मात्र)	01.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	₹8,92,500/- (रुपये आठ लाख बीस हजार पांच सौ मात्र)	₹8,92,700/- (रु. नवसौ हजार सत्तर सौ मात्र)	15.04.2025 समय 11:00 बजे दिन	11.04.2025 समय 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005												
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नंबर बी-122, प्लेट नंबर एलएच-3, दूसरी मंजिल, प्लू के जॉय और, एलआईडी, क्षेत्रफल 306 वर्ग फीट, बीएलएफ अक्षर विहार, गांव लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका स्वामित्व श्रीमती सोनी, पत्नी श्री विनय कुमार के पास है। सीमा: पूर्व: अन्य की संपत्ति, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: 40 फीट चौड़ा रास्ता।																						
4.	30809420000281	1) मोहम्मद आनिर, पुत्र मोहम्मद आनिर (आवेदक), 2) श्रीमती रानी परवीन, पत्नी मोहम्मद आनिर (सह-आवेदक)	08.05.2023	18.11.2024	₹17,28,327.70 (रु. सत्तर लाख अड़स हजार तीन सौ सत्तराई और सत्तर पैसे मात्र)	01.04.2025 प्रातः 09:30 बजे को 05:00 शाम	₹12,07,500/- (रुपये बारह लाख सत्तर सौ मात्र)	₹1,20,800/- (रु. एक लाख बीस हजार आठ सौ मात्र)	15.04.2025 समय 11:00 बजे दिन	11.04.2025 समय 05:00 बजे से पहले। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू ई ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005												
सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: अचल प्लेट संख्या सी-2, ब्लॉक सी, द्वितीय तल, प्लॉट संख्या 84, कुल क्षेत्रफल 52 वर्ग म.म, संकर विहार कॉलोनी, ग्राम धियियाना बुजुर्ग, परगना एवं तहसील सदरी, जिला गौतमगढ़ मगर, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा। जिसका स्वामित्व मोहम्मद आनिर, पुत्र मोहम्मद आनिर के पास है। सीमा: पूर्व: रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम:अन्य का प्लॉट, उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: खाली जमीन।																						

संपत्तियों को **‘जैसा है जहां है** के आधार पर’ और **‘जैसा है जो है** के आधार पर’ आगोशित किया जा रहा है और ई-नीलामी ‘ऑन लाइन’ आगोशित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल **https://bankauctions.in** और **www.foreclosureindia.com** पर आगोशित की जाएगी। या अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता **मेसर्स 4 क्लोजर, श्री उत्कर्ष आदेश**, संपर्क नंबर: 9515160064 ईमेल **advertis@bankauctions.in / ades@bankauctions.in** से संपर्क कर सकते हैं। ई-नीलामी कार्यावली में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित जानकारी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकृत अधिकारी की राशि कुमार (सोबाइद नं. 8700277112) और श्री उत्कर्ष शर्मा (नं. 7230070463), के संघर्ष करें। प्राधिकृत अधिकारी एवं जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बंधा नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली उभार करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व के रजंजन में अपनी स्वतंत्र प्रतुष्टात करवा लेना चाहिए।। कोई भी शर्तों बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपर्युक्त नामित उधारकर्ताओं/ गारंटर/ बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। धाराकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ता को अवगत तिथि के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता हैनीलामी की तारीख से पहले ब्याज और सहायक खर्च, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष सूचना है, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 10.03.2025, स्थान: दिल्ली एलसीआर

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

MANAPPURAM

HOME

FINANCE

FORMERLY

MANAPPURAM HOME FINANCE PVT LTD

CIN : U65923K12010PLC039179

पंजीकृत कार्यालय: IV/470A (पुलम) W/638A (लंग) मण्णुस हाउस वल्लभ थिरु, केरल 680667
जैवहद: 22, www.manappuramhomefinance.com

कॉर्पोरेट कार्यालय मण्णुस होम फाइनेस लिमिटेड, लोरेरी मॉडल, थिरुवै नगर 501 से 514, ए थिरु, कन्याकुमारी बिल्डिंग, अरोके-कुली रोड, अरोरी ईस्ट, मुंबई-400083, महाराष्ट्र, फोन नं: 022-66211006.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

बुद्धि, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन *अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत मण्णुस होम फाइनेंस लिमिटेड (महोकिन) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज चुकाने के लिए आवाहन करते हुए एक नाम सूचना जारी की है। उधारकर्ता द्वारा राशि वापस करने में असमर्थ रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकालक कब्जा से लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से निष्पत्ति के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार मण्णुस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा जैसा कि प्रत्येक संबंधित संपत्ति के लिए नीचे उल्लेख किया गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम/खाता संख्या/ राधा	विवर सुरक्षित संपत्ति के संबंध में हित बकाया गमा है उसका विवरण	मांग नोटिस भेजने की तिथि और बकाया राशि	कब्जे की तिथि
1	कविता कुमारी गुर्जर बलराम गुर्जर रुक्मणी देवी /N/LAP0052031231/जयपुर	क्षेत्रफल 96.44 वर्ग गज, पट्टा संख्या 25 पर प्लॉट, मिश्रल संख्या 18, संकेत्य संख्या-12, गांव मालपुर जी.पी. उदयपुरा, जिला दीसा, राजस्थान, पी.ओ. मानपुर सिकरय, जयपुर, राजस्थान, पिन: 303509। पूर्व-हरिहरम गुर्जर का मकान, पश्चिम-बलराम गुर्जर की खुली जमीन, फिर कर्ज शर्मा का मकान, दक्षिण-बलराम गुर्जर की खुली जमीन, उत्तर-बलराम गुर्जर की खुली जमीन, फिर आम रास्ता।	12-12-2024 और रु. 628330 /-	06-03-2025

हस्ता /— प्राधिकृत अधिकारी मण्णुस होम फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक : 10 मार्च 2025

स्थान: राजस्थान

दिनांक: 10.03.2025

स्थान: उत्तर प्रदेश

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निर्गमित पत्रदान संख्या : ५७7190एएए2007पीएलसी74287

पंजीकृत कार्यालय का पता : 7वां तल, सिनजी, अप्पासाहेब मारग्रे मार्ग, प्रगदेवी, मुंबई 400025

परिशिष्ट IV सांकेतिक अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, पीएमएल कोमिटेड एंड हास्रिगिज फाइनेंस लिमिटेड (पुनर्बांधी शीना हास्रिगिज फाइनेंस कोमिशन लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारों ने वित्तीय परिसंस्थितियों के अधिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा वित्तीय वित्त प्रदान करने के लिये अक्टूबर 2002 के अंतर्गत वित्त प्रदान किए गए (प्रदान) निगमवर्ष 2002 के निगम ३ के साथ प्रविष्टि भाग 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त साधनों के प्रयोगार्थण, एक मात्र सूचना निम्न की है, जिसमें उपाचारकर्ता(सी), सह-उपाचारकर्ता(सी), गारंटर(सी) को सूचना में उल्लिखित शर्तों का, भुगतान की वित्ति तक राशि पर निम्न संविदाभार दर पर व्याज तथा ध्यान, लातु, शुल्कों, इत्यादि की सूचना, एक सूचना को पाठ्य की वित्ति से ६० दिवसी की समाप्तिवर्ष में भुगतान करने को कहा गया था। इसके पश्चात पीएमएल कोमिटेड एंड हास्रिगिज फाइनेंस लिमिटेड (पुनर्बांधी शीना हास्रिगिज फाइनेंस कोमिशन लिमिटेड) से संबंधित वित्तीय परिसंस्थितियों के, एक असाहमर्त अनुबंध दिनांक 29 मार्च 20१३ (यहां इसमें इसके पश्चात "असाहमर्त अनुबंध") के रूप में संदर्भित के माध्यम से संरक्षणीय अधिभूतिकरण के प्राक्काश के अंतर्गत, यहां उक्त संवित्त अंतर्निहित वित्ति वित्त के साथ-साथ सभी अधिकारों, वित्तीयों को पर निम्न वित्त के साथ, उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अर्थात् - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत (यहां इसमें इसके पश्चात "उपाचार फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्र